# कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2021–22/ दिनांक :– 01 /12/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रांरभिक –मुख्यालय),

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान

**विषय :–** अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (N.S.P.) पर आवेदन करने की तिथि को बढ़ाये जाने के क्रम में।

**प्रसंग :–** भारत सरकार से प्राप्त ई मेल दिनांक :–30/11/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक ई मेल के क्रम मे लेख है कि अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा **अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (N.S.P.) पर आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर अब 15.12.2021 कर दी गई है उक्त के साथ प्रथम लेवल के सत्यापन (Verification) की अंतिम तिथि 31.12.2021 व द्वितीय लेवल के सत्यापन(Verification) की अंतिम तिथि 15.01.2022 रखी गई है।**

समस्त जिला नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त संस्थानों/विद्यालयों से आवश्यक रूप से उक्तानुसार **Fresh एवं Renewal** के आवेदन एवं सत्यापन का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

**आपके अधीन समस्त संस्थान/जिला नोडल अधिकारियों (INO/DNO) को L-1 & L-2 स्तर से विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापन करने से पहले रजिस्ट्रेशन, केवाईसी अपडेशन (KYC Updation), आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar based demographic authentication) एनएसपी पोर्टल (NSPPortal) पर करना अनिवार्य है। समस्त संस्थाओं का केवाईसी अपडेशन, आधार आथेन्टीफिकेशन का कार्य तत्काल पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2021–22/ दिनांक : – 01 /12/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
2. निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सयुंक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से प्रभावी मोनिटेरिंग करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से भी प्रभावी प्रबोधन व निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से भी प्रभावी प्रबोधन व निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
6. **समस्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थाप्रधान को अनिवार्यतः पालनार्थ ।**
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

E:\Group-B\Minority\Letter Minority1.docx